प्रधान महालेखाकार का कार्यालय (लेखा एवं हक़),
आन्ध्र प्रदेश, हैदराबाद - 500 004.

OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (A&E),
ANDHRA PRADESH HYDERABAD - 500 004.

सत्यमेव जयते

PM/VI/2012-13/OG-GO/

दिनांक / Date :

To
The Director of Treasuries and Accounts
4th floor Rajaram Building
Tilak Road Abids
Hyderabad

Sir,

Sub:- Forwarding of orders regarding Medical allowance and Domestic Help Allowance to Judicial Officers-Reg.

Ref:- 1.Prl. Accountant General (A&E) Uttarakhand SSA No.PA/Pen/UK/DR/2012-13/1226 Dt.13.07.2012

2. Government of Uttarakhand Finance 15/xxvi(2)/2012-180/2010 Dt.29.05.2012

***

I am herewith enclosing a Special Seal Authority issued by the Princiapl Accountant General (A&E) , UTTARKHAND in the reference cited. The same is being placed in this office official website (www.ag.ap.nic.in). You are requested to direct all the District Treasury Officers to download the orders and take necessary action at the earliest to minimize hardship to the pensioners.

Yours faithfully,

Sr Accounts Officer

Copy To
Joint Director,
M J Road, Jambagh
Pension Payment Office,
Nampally,
Hyderabad for information and necessary action.

Sr Accounts Officer

दू०भा०/ Phone : 040-23236810-19, ई-मेल / E-mail : agaeAndhrapradesh@cag.gov.in
Web Site : http://ag.ap.nic.in फैक्स / Fax : 040-23232441 तार / Grams : Accounts

प्रधान महालेखाकार का कार्यालय
O/o. Prl. A.G. (A&E)
INWARD
27 JUL 2012
G.No.
आ प्र हैदराबाद-500 004
HYDERABAD-500 004

(31)

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड,
(ओबराय मोटर्स बिल्डिंग सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून)

(विशेष मुद्रा प्राधिकार पत्र के अन्तर्गत)

पत्रांक : पी0ए0/पेंशन/उत्तराखण्ड/राहत/2012–13/1226 दिनांक : 13/7/12

सेवा में,

प्रधान महालेखाकार/महालेखाकार (लेखा एवं हक0),

आन्ध्र प्रदेश– हैदराबाद

....

विषय : उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश के संबन्ध में।

महोदय,

उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या : 234/XXXVI (2)/2012–180/2010 दिनांक 29.05.2010 को आपको इस आशय के साथ प्रेषित किया जा रहा है कि इन्हे आप अपने राज्य के सभी कोषागारो को भिजवाने की व्यवस्था करें ताकि आपके राज्य से पेंशन प्राप्त कर रहे उत्तराखण्ड राज्य के सभी न्यायिक एवं उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारियों को इसका लाभ मिल सकें।

भवदीय

Mhailendra

वरिष्ठ लेखाधिकारी/पेंशन

13/7/12

30 8343754

220348
31/7/12

9280

EV-29118 6061

(31)

Pension 431

6/6/12 संख्या- /XXXVI(2)/2012-180/2010

प्रेषक,

डी0पी0 गैरोला,
प्रमुख सचिव न्याय एवं प्रमुख विधि परामर्शी
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिबन्धक,
मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय,
नैनीताल।

न्याय अनुभाग-2 देहरादून: दिनांक: 29 मई, 2012

विषय- जस्टिस ई0 पद्भनाभमन समिति की संस्तुतियों एवं मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या-1022/1989 ऑल इण्डिया जजेज एसोसियेसन व अन्य प्रति भारत संघ व अन्य में दाखिल आई0ए0 सं0-17/2011 में मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में सेवानिवृत्त न्यायिक एवं उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारियों को प्रदत्त पेंशन एवं अन्य भत्तों/सुविधाओं के सम्बन्ध में।

K.S. Mantl

DR 45 25/6/12

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पूर्व में जारी न्याय अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-18/XXXVI(2)/2010-180/2010 दिनांक 11-01-2011 के सन्दर्भ में इस संशोधन के साथ मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सेवानिवृत्त न्यायिक/उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारियों को प्रदत्त चिकित्सा भत्ता एवं घरेलू नौकर भत्ता मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुपालन में दिनांक 01-01-2006 से प्रदत्त किया जाना माना जायेगा। इसके अतिरिक्त यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि दिनांक 01-01-2006 से पूर्व सेवानिवृत्त अधिकारियों के द्वारा घरेलू सेवक का सेवायोजन किये जाने के प्रमाण पत्र के प्रस्तुतिकरण की आवश्यकता नही है।

2- यह आदेश वित्त अनुभाग-7 के अशासकीय पत्र संख्या-451/XXVII(7)/2012 दिनांक 28-5-2012 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

AAO/P 25/6/12

भवदीय

(डी0पी0 गैरोला)
प्रमुख सचिव

<u>संख्या-234 /XXXVI(2)/2012-180/2010 तद्दिनांकित</u>

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1- श्री राज्यपाल के प्रमुख सचिव।

क्रमश.........2

D:\Bhagwan folder\vividh letter.doc